फरीदाबाद

मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

कहत कबीर
समस्या बाहरी मजदूर नहीं हैं। समस्या स्थानीय मजदूर नहीं हैं। समस्या यह व्यवस्था है जो मनुष्यों को माल में बदल कर मण्डी में बिकने के लिये दर-दर भटकने को मजबूर करती है।

नई सीरीज नम्बर **203** मई **2005**

कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे जाते वरकर क्या-क्या कर सकते हैं (4)

* 28 **वर्षीय मजदूर** : "दसवीं कर 1994 में दिल्ली पहुँचा और ठेकेदार परफैक्ट सेक्युरिटी सर्विस ने नांगलोई के पास चमड़े के जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में गार्ड लगा दिया। महीने के तीसों दिन 12 घण्टे रोज ड्युटी के बदले 1250 रुपये और वो भी देरी से। तनखा नहीं बढाई तो 4 महीने बाद नौकरी छोड़ कर उद्योग नगर में 'मौसम' नाम से जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में पीस रेट पर ऑपरेटर का हैल्पर लगा। ड्युटी 12 घण्टे रोज और हम 4-5 लड़के मंगोलपुरी में एक कमरे में रहते थे। फौज में भर्ती के लिये गाँव गया – सब कुछ पार करने के बाद दो दिन में 60 हजार रुपये रिश्वत देने को कहा। मैं 1995 में फरीदाबाद पहुँचा और तब से यहाँ ठेकेदार के जरिये रखे अथवा कैजुअल वरकर के तौर पर रंगाई-डाइंग का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ मैं **कलर फैब, कृष्णा प्रिन्ट्स, केशो टैक्सटाइल, एस.पी.एल., शंकरा फैब, सैन्टीफिक्स निट्स प्रोसेसिंग, प्रिया प्रिन्ट्स** फैक्ट्रियों में काम कर चुका हूँ। हर जगह 12-12 घण्टे की शिफ्ट। नौकरी के संग मैंने 12वीं की और 12 घण्टे ड्युटी के बाद अतिरिक्त दो पैसे के लिये कुछ न कुछ करता रहा हूँ। बीच-बीच में 2-4 महीने गाँव जाता रहता हूँ और वहाँ खेत में काम के संग चलता-फिरता डॉक्टर बनता हूँ, ट्युशन भी पढाता हूँ। समय ऐसा आ गया है कि भगवान मिल जाये पर पक्की नौकरी नहीं मिलती।"

* 22 **वर्षीय मजदूर** : "14 वर्ष का था तब भाई ने एक वर्कशॉप में लगवाया था – 10 घण्टे ड्युटी। एक साल बाद ओल्ड में एक गत्ता फैक्ट्री में लगा और वहाँ एक लड़के से लड़ाई हो गई तो 6 महीने बाद छोड़ आया। लखानी शूज (222 सै-24) फैक्ट्री में बहुत गर्दे के कारण दो महीने बाद काम छोड दिया। दिल्ली में रिश्तेदार के साथ ट्यूब लाइट लगाने का काम किया – रिश्तेदार ने तनखा नहीं बढाई तो तीन साल बाद छोड़ आया। यहाँ लखानी शूज के प्लॉट 334 सै-24 में लगा और ढाई साल काम किया – हर 6 महीने बाद 15-20 दिन बैठा कर फिर लेते। निकाल देते तब मैं बाटा अथवा प्रेस कॉलोनी लेबर चौक पर दिहाड़ी ढूँढता। हर जगह हैल्पर लगा और नौकरी में तनखा सही नहीं देते – ओवर टाइम लगा कर महीने में 2000-2500 रुपये बनते हैं और इतने में पूरा नहीं पड़ता। एक साल से रिक्शा चला रहा हूँ – रोज के 25 रुपये किराये पर नई-सी रिक्शा लेता हूँ और बीच-बीच में लेबर चौक पर दिहाड़ी भी ढूँढता हूँ।"

* 27 **वर्षीय मजदूर** : "पंजाब में झख मार कर फरीदाबाद आया और 4 साल से ठेकेदार के जरिये रखे वरकर के तौर पर एक फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। रोज 12 घण्टे की ड्युटी है – बँधे रहते हैं, ऊब जाते हैं। जब-तब दिमाग तनाव में आ जाता है – कैसे चलेगा? तनखा से पूरा नहीं पड़ता और नौकरी का कोई भरोसा नहीं – लिमिटेड कम्पनी भी कभी भी बन्द हो सकती हैं।"

* 50 **वर्षीय मजदूर** : "1974 में फरीदाबाद आया था। नवम्बर 74 में **युनीक स्प्रिंग्स** में मेरे साथ काम करता मेरे मामा का लड़का गरम तेल के टैंक में गिर गया – कमानी के पट्टे निकाल रहा था। चार दिन बाद दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हुई – अब भी मेरे सपनों में आता है। उसी फैक्ट्री में मेरे सिर में ऐसी चोट लगी कि चार दिन बाद अस्पताल में होश आया। मैं एक कुशल कारीगर हूँ और इन 31 वर्षों में मैं 12 फैक्ट्रियों व वर्कशॉपों में काम कर चुका हूँ। परिवार से दूर मैं यहाँ अकेला रहा हूँ और मैंने ओवर टाइम भी बहुत किया है। परन्तु, इतने दिन काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आया।"

– भर्ती के समय तनखा/रेट बिलकुल साफ कर लेना चाहिये। साफ-साफ नहीं बता कर ठेकेदार/कम्पनी गड़बड़ करते हैं – रेट कम कर देते हैं, 2000 की जगह 1500 ही देते हैं। उनकी "जो सब को दे रहे हैं वो तुम्हें भी दे देंगे" वाली बातों में आने की बजाय "मुझे कितना दोगे" साफ-साफ पूछना बनता है।

– हाजरी और ओवर टाइम में ठेकेदार/कम्पनी गड़बड़ करते हैं। एतराज पर लम्बा-चौड़ा फर्रा दिखा कर कहते हैं, "हमें क्या पता। टाइम ऑफिस/गार्ड ने जो लिख कर दिया है उसके हिसाब से पेमेन्ट बनाई है।" अगर कम्पनी/ठेकेदार हाजरी कार्ड देते हैं तो उसमें फैक्ट्री में प्रवेश व फैक्ट्री से निकलने का समय दर्ज करा कर टाइमकीपर/गार्ड से हस्ताक्षर करवायें। अगर वो हाजरी कार्ड नहीं देते तो खुद अपना बना लें और उसमें इन व आउट के समय पर उनसे दस्तखत करवायें।

– तनखा, समय, व्यवहार के बारे में भर्ती से पहले वहाँ काम कर रहे मजदूरों से जानकारी लें। ज्यादा लफड़े दिखें तो वहाँ काम नहीं करें – ठेकेदार/कम्पनी अधिकारी से वह बातें बोलें और दूसरी जगह देखने की कह कर वहाँ से चल दें। यह सहज कदम आम माहौल बदलने के लिये दबाव बनाना भी है।

– मजबूरी में कम पैसे में लगने के बाद 'खर्चा नहीं चल रहा' की दलील दे कर बार-बार पैसे बढाने की कहें। संग ही संग दूसरी जगह काम ढूँढना चाहिये और अन्य जगह दो पैसे ज्यादा मिलते ही वह जगह छोड़ देनी चाहिये।

– कम तनखा और रोज 12 घण्टे.... हर जगह ऐसा-सा ही है इसलिये बीच-बीच में वैसे ही काम छोड़ कर दूसरी जगह लगना चाहिये। मजदूरों द्वारा बार-बार नौकरी छोड़ने और नई भर्ती करने से साहबों की परेशानियाँ बढती हैं।

कैजुअलों का ठेकेदारों के जरिये रखों से दूरी रखना; एक ठेकेदार के जरिये रखों द्वारा अन्य ठेकेदारों के जरिये रखों से दूरी रखना; ऑपरेटरों और हैल्परों के बीच दूरियाँ; एक विभाग/शिफ्ट के वरकरों द्वारा अन्य विभाग/शिफ्ट के वरकरों से दूरी रखना; पक्कों का कच्चों से दूरी रखना; एक कम्पनी में काम करते मजदूरों द्वारा अन्य कम्पनियों में काम करते मजदूरों से दूरी रखना – यह बातें कम्पनियों/ठेकेदारों के काम आती हैं। और, इस अथवा उस आधार पर मजदूरों के बीच आपसी तनाव तो कम्पनियों/ठेकेदारों की पौ बारह हैं। हमें एक-दूसरे की कमियों/कमजोरियों/गलतियों को तूल दे कर अपना और कबाड़ा करने की बजाय एक-दूसरे को सम्भालने की जरूरत है – इससे हमारे बीच तालमेल बढेंगे। (जारी)

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद–121001 **(यह जगह बाटा चौक और मुजेसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)**

कालपी से –

झाँसी डिवीजन जल संस्थान का गठन 1975 में हुआ था और तभी से यह साहबों के लिये भ्रष्टाचार का स्वर्ग बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद आज तक एक भी भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा नहीं गया– उनके आका लखनऊ से उनका बचाव करते रहते हैं।

नियमित पद का कार्य ठेके पर कराने का क्या औचित्य है? फिर भी जल संस्थान पिछले 20– 22 वर्ष से अधिकाँश पम्प ठेके पर चलवा रहा था। इधर 31.3.05 को ठेका खत्म होने पर अधिशासी अभियन्ता उरई ने जनपद जालौन में 80 नलकूपों पर 5– 7 वर्ष से निरन्तर काम कर रहे ठेकेदार के जरिये रखे पम्प ऑपरेटरों को हटा दिया और विभागीय कर्मचारियों को चौबीसों घण्टे ड्युटी करने को बाध्य किया है।

भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं करने के कारण साहबों ने 26.3.04 से पम्प ऑपरेटर अब्दुल रहमान को वेतन देना बन्द कर दिया। विभाग में शिकायतों का असर नहीं पड़ने पर अब्दुल रहमान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाना पड़ा – न्यायालय ने 10.11.04 को आदेश/निर्देश दिया परन्तु 18 अप्रैल 05 तक जल विभाग ने आदेश का अनुपालन नहीं किया था।

नियमानुसार 3 वर्ष बाद स्थानान्तरण का प्रावधान है परन्तु यहाँ पिछले 5– 10 वर्ष से साहब जमे हुये हैं।

(जानकारियाँ हमें विशम्बरनाथ, "व्यवस्था बदलो संघर्ष समिति", ने कालपी से भेजी हैं।)

ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं

बी.आई.सी. इंजिनियरिंग, 53 सै– 24, में ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, तनखा 1500 रुपये महीना –ठेकेदार के जरिये रखे 7 को 1700 रुपये; **थर्मापैकिंग,** 17 सै– 6, में ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं, हैल्पर की तनखा 1500– 1600 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **फरीदाबाद बोल्ट टाइट,** 43 सै– 4, में ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, तनखा 1700– 1800 रुपये, **हीरो होण्डा** के रबड़ के पुर्जे बनते हैं; **बेलमेक्स,** 125 सै– 24, में हैल्परों की ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं, कम्पनी द्वारा भर्ती की तनखा 1450 रुपये, ठेकेदारों के जरिये रखों को 1700 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **राज टैक्सटाइल्स,** 6 इन्ड. एरिया, में ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **सुरेन्द्र कास्टिंग,** 59 सै– 24, में मार्च में छापा पड़ने से 3– 4 घण्टे पहले ही ज्यादातर मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया – ई.एस.आई. व पी.एफ. नहीं हैं, उस दिन की दिहाड़ी दी, हैल्पर की तनखा 1800 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **प्रिन्ट इण्डिया,** 231 सै– 24, से निकालने के बाद पी.एफ. फार्म नहीं भर रहे – डाइंग मास्टर मना करता है, दुर्व्यवहार करता है और डायरेक्टर कहता रहता है कि भर देंगे, फिर आना;...

न्यूनतम से कम वेतन

सरकार द्वारा पिछले वर्ष घोषित कम से कम दिहाड़ी 100 रुपये अब तक लागू नहीं की गई है। हरियाणा में सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम तनखा जनवरी 05 से अकुशल मजदूर– हैल्पर के लिये 8 घण्टे की ड्युटी पर 90 रुपये 13 पैसे और हफ्ते में एक छुट्टी पर महीने में 2343 रुपये 37 पैसे है।

भरतिया इन्डस्ट्रीज (कटलर हैमर), 20/3 मथुरा रोड़, में ठेकेदार के जरिये रखे 60 मजदूरों को 70 रुपये रोज के हिसाब से तनखा देते हैं – साप्ताहिक छुट्टी नहीं; **नेशनल इन्डस्ट्री,** 121 सै– 6, में हैल्पर को 1800 और ऑपरेटर को 2000 रुपये महीना तनखा; **इलाइट स्टील,** 10 इन्ड. एरिया, में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को 1600 रुपये महीना तनखा, ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं; **सन्दीप इंजिनियरिंग,** मेवला मोड़, में हैल्पर की तनखा 1800 रुपये, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से; **टाटा स्टील,** 39 इन्ड. एरिया, में हैल्पर की तनखा 1600 रुपये;..

नहीं दी तनखा

मार्च का वेतन कानून अनुसार 1000 से कम मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में 7 अप्रैल से पहले देना था।

एच.जे. इंजिनियरिंग, 352 सै– 24, में फरवरी व मार्च की तनखायें 12 अप्रैल तक नहीं, हैल्पर का वेतन 1500– 1600 रुपये; **नूकेम केमिकल,** 54 इन्ड. एरिया, में स्थाई मजदूरों को मार्च की तनखा 18 अप्रैल को दी; **सुपर सील,** 12/1 मथुरा रोड़, में मार्च का वेतन 18 अप्रैल तक आधे मजदूरों को नहीं; **क्लच आटो,** 12/4 मथुरा रोड़, में कैजुअल वरकरों को मार्च की तनखा 16 अप्रैल को दी, स्थाई मजदूरों को 18 अप्रैल तक नहीं; **शिवालिक ग्लोबल,** 12/6 मथुरा रोड़, में मार्च की तनखा 18 अप्रैल तक नहीं, फरवरी के ओवर टाइम के पैसे भी नहीं; **ब्रॉन लैबोरेट्री,** 13 इन्ड. एरिया, में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को मार्च की तनखा 19 अप्रैल तक नहीं;....

और बातें यह भी **गुडईयर टायर मजदूर :** "इस नामी कम्पनी में दुभान्त कैन्टीन में भी हैं। फैक्ट्री में स्थाई मजदूरों और कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की अलग– अलग कैन्टीन हैं। हम कैजुअल वरकरों को घटिया भोजन दिया जाता है।"

एस.पी.एल. मजदूर : "प्लॉट 39 सैक्टर– 6 स्थित फैक्ट्री में क्रेन से दब कर एक मजदूर की 6 अप्रैल को मृत्यु हो गई।"

जे.बी.एम. वरकर : "प्लॉट 269 सैक्टर– 24 स्थित फैक्ट्री में अप्रैल के आरम्भ में कार्य के दौरान राजकुमार को सिर पर गहरी चोट लगी। घायल होने के बाद ई.एस.आई. की खानापूर्ति की गई। राजकुमार को ठेकेदार के जरिये रखा गया था और उसके घायल होने के बाद उस ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों पर ई. एस.आई. के प्रावधान लागू किये गये।"

दिल्ली से–..(पेज चार का शेष)

इलाज भी नहीं करवाती। फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 9 तक की शिफ्ट है। हैल्परों को 12– 14 घण्टे रोज ड्युटी पर महीने में 2863 रुपये देते हैं – जिस रोज रात 9 बजे बाद रोकते हैं उस रोज उन्हें 40 रुपये भोजन के नाम से देते हैं, ओवर टाइम नाम से कुछ नहीं देते। कारीगर पीस रेट पर हैं और रात 9 बजे बाद रोकते हैं तब कारीगर को 20 रुपये भोजन के नाम से देते हैं – पीस रेट वही जारी रहता है, यानि ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। आनन्द इन्टरनेशनल मैनेजमेन्ट निर्धारित उत्पादन बढाती रहती है और फिर 'कम उत्पादन दिया' के नाम पर पैसे काट लेती है। कारीगरों ने काम बन्द कर भुगतान 14 से 15 रुपये प्रति घण्टा और फिर 15 से 15½ रुपये प्रति घण्टा करवाया है। फैक्ट्री में महीने के तीसों दिन उत्पादन कार्य होता है – रविवार की उपस्थिति रिकार्ड में दिखाते ही नहीं। कम्पनी ने कैन्टीन के स्थान पर मशीनें लगा दी हैं। मजदूरों की सँख्या के हिसाब से लैट्रीन बहुत कम हैं – लाइन लगती हैं और भारी गन्दगी रहती है। सुपरवाइजर और मैनेजर गालियाँ देते हैं।"

मिल्कॉन मजदूर : "प्लॉट बी– 297 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में ड्युटी ही 10 घण्टे की कर रखी है – सुबह 9½ से साँय 7½ तक। दस घण्टे बाद रोकते हैं तो उसे ओवर टाइम कहते हैं और उसके पैसे भी सिंगल रेट से। रोज 10 घण्टे ड्युटी पर हैल्पर को महीने के 1937 रुपये देते हैं। फैक्ट्री में 150 मजदूर काम करते हैं जिनमें 2– 4 ही स्थाई हैं – बाकी की ई. एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। मार्च की तनखा हमें आज 15 अप्रैल तक नहीं दी है।"

एम.एम. एपरेल्स वरकर : "प्लॉट बी– 242 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में मार्च की तनखा आज 15 अप्रैल तक नहीं दी है। साल– भर से काम कर रहे वरकरों की ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। महीने में 20 रोज नाइट लगवाते हैं।"

एम.एल. सागर एक्सपोर्ट मजदूर : "प्लॉट बी– 48 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में मार्च की तनखा आज 15 अप्रैल तक नहीं दी है। फैक्ट्री में फिनिशिंग विभाग में 12– 12 घण्टे की शिफ्ट हैं और पीस रेट कारीगर रोज 16 घण्टे तक काम करते हैं। रिजेक्शन के नाम पर तनखा से पहले 1½ प्रतिशत काटते थे अब 3 प्रतिशत काट रहे हैं। ठेकेदार के जरिये रखे वरकरों को 2400 रुपये महीना देते हैं।"

कुछ फुरसत में

टालब्रोस मजदूर : " प्लॉट 74-75 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में सुबह 8 से रात 8½ और रात 8 से अगली सुबह 8 तक की शिफ्ट हैं और इनके अलावा भी रोक लेते हैं। रविवार को भी ड्युटी रहती है। दिन के 4 घण्टे और रात के 3½ घण्टे ओवर टाइम बताते हैं। अन्यथा भी हर महीने ओवर टाइम के 10-15-20 घण्टे खा जाते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। ज्यादातर मजदूर ठेकेदारों के जरिये रखे हैं – हैल्पर की तनखा 1675 रुपये और ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। काम के दौरान एक मजदूर की आँख में तेजाब गिर गई – उसकी ई.एस. आई. नहीं करवा रखी थी। उस मजदूर की आँख खराब हो गई – बिना किसी क्षतिपूर्ति के उसे नौकरी से निकाल दिया। ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को मार्च की तनखा आज 14 अप्रैल को दे रहे हैं।"

रोजल इन्टरप्राइजेज वरकर : " प्लॉट 5 डी/8 ई रेलवे रोड़ स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 9 बजे तक की शिफ्ट है और उसके बाद भी जबरन रोक लेते हैं – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्पर को 1400-1500 और ऑपरेटर को 1800 रुपये तनखा – ई.एस.आई. नहीं, पी. एफ. नहीं। तनखा 15 तारीख से और वह भी किस्तों में। डायरेक्टर गालियाँ और पुलिस की धमकी देता रहता है। नौकरी छोड़ देने वाले वरकर को पैसों के लिये बहुत चक्कर कटवाते हैं।"

रोजेटा टैक्सटाइल मजदूर : " 14/5 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और 24 घण्टे रोकते हैं तब भी भोजन के पैसे नहीं देते। पहले 36 घण्टे रोकने पर भोजन के 50 रुपये देते थे पर अब वे बन्द कर दिये हैं। साहब गाली देते हैं और थोड़ी गलती पर धक्के मार कर गेट पर खड़ा कर देते हैं। मार्च की तनखा आज 16 अप्रैल तक नहीं दी है।"

बोनी पोलीमर वरकर : ' प्लॉट 37 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं और रविवार को भी जबरन 8/12 घण्टे काम करवाते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। फैक्ट्री में काम करते 600 मजदूरों में से 3-4 ही स्थाई हैं। तीन महीने ई.एस.आई. व पी.एफ. के पैसे काटते थे और निकाल देने पर पी.एफ. की राशि सिंगल ही मिलती थी परन्तु इधर 5-6 महीने से ई.एस.आई. व पी.एफ. काट ही नहीं रहे। एक्सीडेन्ट होने पर थोड़ा इलाज करवा कर निकाल देते हैं। सुपरवाइजर गाली देते हैं।"

ओरफिक डाइंग मजदूर : "प्लॉट 120-121 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं – 24 घण्टे भी रोक लेते हैं, 36 घण्टे भी रोक लेते हैं। 12-24-36 घण्टे में एक कप चाय नहीं, भोजन के लिये पैसे नहीं, एक घण्टा आराम नहीं। दिन में भोजन के लिये कहने को 15 मिनट हैं और रात को वो भी नहीं – मशीन बन्द नहीं करते, मशीनों के चलते-चलते खाना खाओ। हैल्पर को 12 घण्टे के 85 रुपये और ऑपरेटर को 12 घण्टे के 120-130 रुपये के हिसाब से पैसे देते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं। ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं – चोट लगने पर निकाल देते हैं। स्टाफ के 100 कम्पनी ने स्वयं रखे हैं और बीस ठेकेदारों के जरिये हम 500 मजदूर रखे हैं। सुपरवाइजर गाली देते हैं। जनवरी की तनखा 5 मार्च को दी, फरवरी की 22-24 मार्च को और मार्च की तनखा आज 9 अप्रैल तक नहीं दी है।"

क्लास इण्डिया वरकर : " 15/3 मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में समय के साथ फँस गये-फँसा दिये गये के अहसास के दृष्टिगत हमें झुक कर अन्दर जाना पड़ा – 19 मार्च से 14 दिसम्बर 04 तक बाहर बैठे 83 स्थाई मजदूरों में से हम 51 ही अन्दर जा पाये हैं। यूनियन के आदेश पर 9 महीने बाहर बैठने की कोई तनखा हमें नहीं मिलेगी। पहले कम्पनी 6 को छोड़ कर बाकी सब को अन्दर आने को कह रही थी – अब 8 कैन्टीन वरकरों को तो कम्पनी अपने वरकर ही नहीं मान रही, 16 को नये सिरे से भर्ती की कह रही है, 6 बरखास्त ही रहेंगे। अन्दर कम्पनी हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। बैठने के स्टूल हटवा दिये हैं – काम हो चाहे न हो, खड़े रहो। रोज एक घण्टा ड्युटी बढा कर दूसरे शनिवार के संग अन्य शनिवारों की भी छुट्टी कर हमारी परेशानियाँ बढा दी हैं – सुबह हम एस्कोर्ट्स वरकरों के साथ बसों में आ जाते हैं पर शाम को उनके साथ जा नहीं सकते। यात्रा खर्च देने की कह कर कम्पनी मुकर गई है। हमारे बाहर बैठने के दौरान जिन 150 को भर्ती किया था उन्हें निकाल दिया है और दो ठेकेदारों के जरिये 40 वरकर रखे हैं। उत्पादन दुगना कर दिया है और बाहर काम करवाना बढा दिया है। चण्डीगढ में श्रम विभाग में अब भी तारीखें पड़ रही हैं। हमें बहुत कड़वा अनुभव हुआ है।"

सुपर आटो इण्डिया मजदूर : "प्लॉट 84 1 BVj-6 स्थित फैक्ट्री में 12½ घण्टे की एक शिफ्ट है और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को उसके बाद भी रोक लेते हैं। कैजुअल वरकर को 12½ घण्टे रोज पर 30 दिन के 2850 रुपये देते हैं – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। ठेकेदारों के जरिये रखे 150 वरकरों में बच्चे भी हैं, तनखा 1200-1400-1700 रुपये और ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। हर महीने रिकार्ड जला देते हैं।"

लखानी इण्डिया वरकर : " प्लॉट 262 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में ठेकेदार के जरिये रखे गये हम 200 मजदूरों से रोज 10 घण्टे की ड्युटी ली जाती है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। ई.एस.आई. कार्ड हम में से किसी को नहीं दिया है। पी.एफ. का हमारा पैसा निकलता ही नहीं।"

शिफ्ट ही बारह घण्टे

श्याम टैक्स इन्टरनेशनल, 4 सै-6, में ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, रविवार को भी छुट्टी नहीं, 12 घण्टे 30 दिन के बदले 2400 रुपये, फरवरी की तनखा 25 मार्च को, मार्च की तनखा 14 अप्रैल तक नहीं; **त्रिशूल सेक्युरिटी,** सै-23 कार्यालय, 500-600 गार्ड जिन्हें 12 घण्टे रोज और महीने के तीसों दिन ड्युटी के बदले 2000-2200-2500 रुपये; **एस.पी.एल.,** 21, 22, 39, 47, 48 सै-6, में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को मार्च की तनखा 14 अप्रैल तक नहीं; **नीलकंठ थर्मोपैक,** 37-38 सै-25, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, हैल्पर की तनखा 1600 रुपये, फरवरी का वेतन 28 मार्च को दिया, मार्च की तनखा 9 अप्रैल तक नहीं; **भूपेन्द्रा स्टील,** 25 सै-6, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से, हैल्परों की तनखा 1700-1800 रुपये; **महारानी पेन्ट्स,** 343-44 व 242 सै-24, में सुबह 8½ से रात 9 बजे तक की शिफ्ट, कैजुअल वरकरों को ओवर टाइम का भुगतान सिंगल दर से; **अलायन्ज,** 42 सै-6, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट, ओवर टाइम सिंगल रेट से, हैल्पर की तनखा 1800 रुपये; **अलर्ट सेक्युरिटी,** मुख्यालय गुड़गाँव व शाखा कार्यालय फरीदाबाद जवाहर कॉलेनी, में गार्ड को 12 घण्टे रोज पर तीसों दिन ड्युटी के बदले 3000 रुपये, 10 तारीख से पहले तनखा का भरोसा पर मार्च का वेतन 14 अप्रैल तक नहीं; **वी जी इन्डस्ट्रीयल इन्टरप्राइजेज,** 31 इन्ड. एरिया, में 12-12 घण्टे की शिफ्ट; **सोलर डाइकास्टिंग,** 85 सै-6, में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट, ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों की ई. एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं;....

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :

★ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ★ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ★ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात ग़लत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी फरीदाबाद–121001

दिल्ली से-

जनवरी से देय डी.ए. की अप्रैल- अन्त तक दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा ही नहीं। 8 घण्टे की ड्युटी और साप्ताहिक छुट्टी पर दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई 04 से निर्धारित कम से कम तनखा हैल्पर के लिये 2863 रुपये और कारीगर के लिये 3287 रुपये महीना है।

ओरियन्ट क्राफ्ट मजदूर : "प्लॉट बी- 26 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में आज, 15 अप्रैल को भविष्य निधि कार्यालय द्वारा निरीक्षण है इसलिये कम्पनी ने हम सब कैजुअल और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों को फैक्ट्री से बाहर रखा है क्योंकि हमारी ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं। कम्पनी ने कल (14 अप्रैल को) फुल नाइट उत्पादन करवाया। ओरियन्ट क्राफ्ट फैक्ट्री में अन्दर जाने का समय सुबह 9 बजे है पर छूटने का कोई समय नहीं है। फैक्ट्री में बोर्ड लगा रखे हैं कि ओवर टाइम इच्छानुसार पर जबरन रोकते हैं। महीने में 20- 26 रोज रात 2 बजे तक काम करने की वजह से नींद पूरी नहीं होती – बीमार पड़ जाते हैं। सात ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों में हैल्परों को 50- 60 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से पैसे देते हैं। पीस रेट कारीगरों के पैसे ठेकेदार खाते हैं, मैनेजर खाते हैं। 12- 13 रजिस्टर बना रखे हैं, एक रजिस्टर में 40- 50 मजदूरों के नाम दर्ज करते हैं। फैक्ट्री में कैन्टीन है पर घटिया चीजें महँगे में देते हैं – भोजन 15 रुपये में और एक कप चाय 3 रुपये में। पीने का पानी खारा है। सुपरवाइजर गालियाँ देते हैं और उनकी सहायता के लिये कम्पनी ने गुण्डे रखे थे जिन्हें हाल ही में हटाया है। फैक्ट्री में लैट्रीन- बाथरूम पर गार्ड हैं। मार्च की तनखा आज 15 अप्रैल तक नहीं दी है।"

ओपेरा हाउस वरकर : "प्लॉट डी- 12 ओखला फेज II स्थित फैक्ट्री में सुबह 9 से रात 9 तक की एक शिफ्ट है और उसके बाद नाइट लगाने को मजबूर करते हैं – महिला मजदूरों को भी रात 2 बजे तक काम करने को मजबूर करते हैं। मार्च की तनखा आज 15 अप्रैल तक नहीं दी है – रात 9 बजे बाद नहीं रुकने वालों को तो जनवरी व फरवरी के पैसे भी नहीं दिये हैं।"

एच.वी. इन्टरप्राइजेज मजदूर : "प्लॉट बी- 237 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में कम्पनी 4- 5 दिन से काम ही नहीं दे रही – मैनेजमेन्ट कहती है कि कहीं और नौकरी देख लो। वैसे फैक्ट्री में सुबह 9½ से साँय 6 ¾ तक की शिफ्ट है और उसके बाद जबरन रात 2 बजे तक रोक लेते हैं। ओवर टाइम का भुगतान सिंगल रेट से जबकि बोर्ड पर डबल लिख रखा है। चार साल से कम्पनी समय पर वेतन नहीं दे रही – मार्च की तनखा आज 15 अप्रैल तक नहीं। हर महीने तनखा में लफड़े करते हैं – रिजेक्शन के नाम पर 13- 14 प्रतिशत तनखा काट लेना, तय पीस रेट कम कर देना। महीने में 2000 रुपये तक की गड़बड़ कर देते हैं। पी.एफ. की पर्ची 8 साल से नहीं मिली है – इस बारे में हम ने भविष्य निधि कार्यालय पर धरना भी दिया है। फैक्ट्री में पीने का पानी ठीक नहीं है और बीमार होने पर ई.एस.आई. से दवाई लेने जाने पर वरकर का 10 दिन गेट रोक देते हैं। आपातकाल में भी कम्पनी पैसे नहीं देती। जनरल मैनेजर गाली देता है – थप्पड़ भी मार देता है।"

रॉयल इम्ब्राइडरी वरकर : "प्लॉट डी- 104 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में 15- 20 मजदूर स्थाई हैं और 130 को ठेकेदारों के जरिये रखा है। फैक्ट्री में सुबह 9 से साँय 5½ तक की शिफ्ट है और फिर रात 9 बजे तक रोकते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। हैल्पर की तनखा 2378 रुपये महीना। निकालने पर ठेकेदार पी.एफ. फार्म भरते ही नहीं – हम ने एक यूनियन के संग भविष्य निधि कार्यालय पर धरना भी दिया पर असर नहीं पड़ा।"

एफ-23/1 ओखला फेज II का मजदूर : "फैक्ट्री का नाम नहीं मालूम। सूती कपड़ों के निर्यात का काम है। फैक्ट्री में 250 मजदूर काम करते हैं। सुबह 9 से रात 9 तक की शिफ्ट है – ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और वह भी 3 घण्टे के। भोजन के लिये आधा घण्टा देते हैं पर भोजन के नाम पर एक घण्टा काट लेते हैं। मार्च की तनखा कुछ को 9 अप्रैल को दी और बाकी को आज 15 अप्रैल तक नहीं दी है।"

आनन्द इन्टरनेशनल वरकर : "प्लॉट ए- 185 ओखला फेज I स्थित फैक्ट्री में मजदूरों की विशाल सँख्या कैजुअल वरकर के तौर पर है – ई.एस.आई. नहीं, पी.एफ. नहीं और चोट लगने पर कम्पनी **(बाकी पेज दो पर)**

विचारणीय

कार्यदिवस

आज से सवा सौ वर्ष पहले भाप- कोयला आधारित मशीनों का बोलबाला था। उन मशीनों पर कार्य करते मजदूर जो उत्पादन करते थे उसका आधे से ज्यादा कारखानेदार- व्यापारी- सरकार हड़प लेते थे। आज बिजली और इलेक्ट्रोनिक्स आधारित मशीनों पर कार्य करते मजदूर जो उत्पादन करते हैं उसका 97- 98 प्रतिशत हिस्सा कम्पनियाँ- बैंक- सरकारें और प्रबन्धक व बिचौलिये हड़प लेते हैं। मजदूर आज आठ- दस मिनट के कार्य में अपनी तनखा के बराबर उत्पादन कर देते हैं।

सवा सौ वर्ष पहले परिवार में स्वयं के 7- 8 बच्चों के संग दादा- दादी तो होते ही थे, बहन- भाई या उनके बच्चे भी परिवार में होना अपवाद नहीं थे। आज परिवार में पति- पत्नी और बस एक या दो बच्चे आदर्श हैं।

सवा सौ वर्ष पहले परिवार में आमतौर पर एक व्यक्ति नौकरी करता था, एक ही जगह नौकरी करता था और सामान्यतः यह पुरुष होता था। आज पति और पत्नी, दोनों का नौकरी करना सामान्य बनता जा रहा है। आज ओवर टाइम, ड्युटी के बाद दूसरी जगह पार्ट टाइम काम करना अथवा स्वयं कोई धन्धा करना सामान्य बनते जा रहे हैं। बच्चों द्वारा काम करना बढता जा रहा है।

सवा सौ वर्ष पहले मजदूरों ने 8 घण्टे काम, 8 घण्टे आराम, 8 घण्टे मनोरंजन के लिये आवाज उठाई थी। सवा सौ वर्ष पहले अमरीका- यूरोप में मजदूरों ने आठ घण्टे का कार्यदिवस डिमाण्ड किया। **आठ घण्टे के कार्यदिवस का मतलब है एक दिन में एक व्यक्ति को आठ घण्टे के कार्य के लिये इतने पैसे दिये जायें कि एक परिवार का भरण-पोषण हो सके।** आज दुनियाँ- भर में 8- 8½ घण्टे की शिफ्ट कानूनन है। बस वैध शिफ्ट ही 8- 8½ घण्टे की है, कार्यदिवस नहीं।

परिवार के सिकुड़ने, कार्य की तीव्रता- तीक्ष्णता बढने, एक से ज्यादा परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी करने का सिलसिला चला है। पति, पत्नी और बच्चों द्वारा 8- 8½ घण्टे ड्युटी के बाद ओवर टाइम, पार्ट टाइम काम ने आज कार्यदिवस को 30- 32 घण्टे का कर दिया है – बेशक, दिन आज भी 24 घण्टे का ही है।

धोखाधड़ियाँ अपनी जगह, सद्इच्छायें भी अपनी जगह – हकीकत ने गम्भीर मन्थन- मनन की आवश्यकता प्रस्तुत कर रखी है।

इन पाँच- सात हजार वर्ष के दौरान मनुष्य जितनी अधिक मेहनत कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा मनुष्यों की परेशानियाँ बढ रही हैं। हमारी मेहनत की उपज हमारे ही खिलाफ आ खड़ी होती है। स्वामी बनाम दास, राजा- सामन्त बनाम भूदास, व्यापारी बनाम किसान- दस्तकार, कारखानेदार बनाम मजदूर के दौरों में यह भुगता है और आज कम्पनी- संस्थान बनाम मजदूर के दौर में हम यह भुगत रहे हैं।

समुदाय रूपी समाज व्यवस्थाओं में मनुष्यों की मेहनत के फल पूरे समुदाय के लिये होते थे। समुदाय व्यवस्था में तन व मन स्वस्थ रहते हैं। समुदाय व्यवस्था टूटने और ऊँच- नीच वाली समाज व्यवस्थाओं के आगमन ने मेहनत करने वाली बहुसँख्या के तन अधिकाधिक ताने- तोड़े हैं और मन लहुलुहान किये हैं। ऊँच- नीच वाली व्यवस्थाओं में तन के उपभोग में संलिप्त लोगों की कुटिलता- क्रूरता उनके मन को मार देती है और वे चलती- फिरती लाश हो जाते हैं।

मेहनत का बोझ कम हो और हमारी मेहनत के नतीजे हमारी स्थिति को बिगाड़ने की बजाय हमारे जीवन को सुफलदायी बनायें इसके लिये नई समुदाय रूपी समाज व्यवस्था अनिवार्य आवश्यकता लगती है। वर्तमान व्यवस्था को दफा करने और नये समुदायों वाली व्यवस्था का गठन करने के लिये विचार व व्यवहार हमारी गतिविधियों की धुरी लगती है।

मनुष्यों के अलावा अन्य जीवों और स्वयं पृथ्वी के खिलाफ कारखानों का ताण्डव अलग से गम्भीर चिन्ता- चिन्तन का विषय है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**

सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी–546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।